

तारीख
म


हुकम या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

तारीख
हुकम


हुकम कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज
१८/७/२५ वकील आशी आर्टिफर। बूझवास के
आदेशानुसार विद्युत् की बिजली कनेक्शन
कार्यवाही पारित की जाती है। पत्रावली
पुस्तक खोल दिनांक २२-८-२०२५ को पेश
की

नम्बर
तारीख
जो
इस हुकम की
तामील
में
जारी हुए


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

२२/१०/२५

वकील आशी आर्टिफर। उपरोक्त विद्युत् कनेक्शन
कार्यवाही पारित की जाती है। पत्रावली
पुस्तक खोल दिनांक १५/१०/२५ को
पेश की



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

१५-१०-२५

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी
एकपक्षीय। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस
निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी के
संबंध में वाद अन्तर्गत धारा १८८ आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया
गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की संभावना है।
प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील
पचपदरा की खसरा संख्या ७३७/१०६ रकबा ९१.१३ बीघा
अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त चला आ रहा
है। विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के
विरुद्ध स्थगन आदेश पारित हो रखा है, जिसे मूलवाद के निर्णय
तक कन्फर्म किया जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया
तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात
का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम
भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या ७३७/१०६
रकबा ९१.१३ बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है।
मूलवाद प्रार्थीगण/वादीगण के साक्ष्य गवाही में विचाराधीन चल
रहा है। यदि दौराने विचारण वाद के विप्रार्थी द्वारा विवादित





सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

379/2018

आराजी को वाद-विवाद करते है,तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ती है,इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण अपने आवेदन-पत्र को साबित करने में बखूबी सफल रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्राथीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.5.2018 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हों।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा